

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

लोक अदालत कोर्ट केम्प बामनवास

अज अदालत :- उपखंड अधिकारी बामनवास
इजलास :- सुश्री प्रियंका कडेला (आर.ए.एस.)

1. बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासी रामनगर ढोसी तहसील
बामनवास जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. लेण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

--: प्रतिवादी :-

दावा बाबत इन्द्राज दुरस्ती व धारा 207 राज. टी.एक्ट.

मुकदमा न. -41/2025


डिकी जारी दिनांक: 13.9.2025

--: निर्णय :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी :-वकील
वादी श्री रचना बोहरा मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर
हुकम दिया जाता है कि :-

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प कार्यालय हाजा मे अंतिम
निस्तारण होने के लिए प्रस्तुत होने पर पत्रावली को लोक अदालत की भावना से
अंतिम रूप से निस्तारण किया जाकर लेण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास को
आदेशित किया जाता है कि ग्राम रामनगर ढोसी तहसील बामनवास के ख.न.
83 रकवा 1.42 हेक्टर हांल नक्शा ट्रेस साविक नक्शा ट्रेस के मुताबिक संशोधित
किया जावे । इसी अनुसार पालना हेतु तहसीलदार बामनवास को तहरीर जारी
की जावे ।

यह आदेश आज दिनांक 13.9.2025 को लोक अदालत मे सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपखंड अधिकारी
बामनवास

